कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID:- nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 1858/12—1 देहरादूनः दिनांकः 20 जनवरी, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।
वन अनुभाग—3

विषयः— **जनपद बागेश्वर में पोथिंग से शोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.150 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**
(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10070/2015)

संदर्भः— इस कार्यालय की पत्र सं0 1763/ FP/UK/ROAD/10070/2015 दिनांक 24—01—2023। (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र से जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत काण्डा—मन्तोली का विस्तार तल्ला तिपोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने के उद्देश्य से प्रेषित किया गया था।

उक्त प्रस्ताव तकनीकी कारणों से कार्यदायी संस्था द्वारा ऑनलाईन प्रेषित नहीं किया जा सका जिस हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग के अनुरोध पत्र 5222/12—1—2 दिनांक 01—06—2024 के आधार पर इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 100/12—1 दिनांक 11—07—2024 से भारत सरकार को लिखा गया। प्रकरण वर्तमान में ऑनलाईन प्राप्त हो गया है।

अतः उक्त संदर्भित पत्र की प्रति आपको संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रस्ताव को संस्तुति सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करना चाहें।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1858/12—1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2— प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G2G

पत्रांक– 100/ 12–1:देहरादूनः दिनांक: 11 जुलाई, 2024

सेवा में,

वन महानिरीक्षक, (एफ०सी०)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
कमरा नं०–A-361 IIIrd floor,
अग्नी ब्लाक, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़,
नई दिल्ली, पिन–110003।

विषयः–जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वन भूमि प्रस्तावें में ऑलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने में आ रही तकनिकी कठिनाई के सम्बन्ध में। (FP/ UK/ ROAD/10063/2015) एवं (FP/UK/ ROAD/10070/ 2015)

संदर्भः–प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक संख्या–5222/12–1–2 दिनांक–01.06.2024 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगतनीय है कि जनपद बागेश्वर में अंशू से बसकूना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4 है० एवं पोथिंग से सोभकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.15 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावो में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने में आ रही तकनीकी कठिनाई के सम्बन्ध में इस कार्यालय से अनुरोध किया गया। अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरणों में तकनीकी कठिनाई के कारण परिवेश पोर्टल पर सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ऑनलाईन अपलोड नहीं हो पा रही है।

अतः उपरोक्त प्रकरणो में आ रही तकनीकी कठिनाई को ठीक करने एवं अपने स्तर से सम्बन्धितों को उचित निर्देश देने का कष्ट करें, ताकि प्रकरणों पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या– 100/12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रतिलिपि निदेशक, एन०आई०सी०, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कमरा नं०–A-361 IIIrd floor, अग्नी ब्लाक, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।
2. प्रतिलिपि उप वन महानिरीक्षक (एफ०सी०), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ब्लॉक नं०–3,चतुर्थ तल, सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली, पिन–110003 को उपरोक्तानुसार पत्र की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।
3. प्रतिलिपि वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में इस आशय से प्रेशित कि प्रश्नगत प्रकरण को ऑनलाईन अपलोड करने में आ रही तकनीकी कठिनाई हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग को एन०आई०सी०, नई दिल्ली से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित करने का कश्ट करें ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
4. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० कपकोट बागेश्वर को उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में इस आशय से प्रेशित कि प्रकरण को ऑनलाईन अपलोड करने में आ रही तकनीकी कठिनाई को ठीक करवाने हेतु अपने से भी एन०आई०सी०, नई दिल्ली से सम्पर्क करने का कष्ट करें।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249 वन मित्र काल सेटरं– 9208008000

पत्रांक 5222 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 01/ 6 /2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय – 1. जनपद बागेश्वर में अंशू से बसकूना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या 10063/2015)

2. जनपद बागेश्वर में पोथिंग से सोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.15 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या 10070/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में **जनपद बागेश्वर में अंशू से बसकूना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4 है0** वन भूमि एवं **जनपद बागेश्वर में पोथिंग से सोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.15 है0** वन भूमि प्रस्तावों में आ रही तकनीकी कठिनाई के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावों में प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में अपलोड करने की उपरान्त शर्तों के अनुपालन की पुष्टि के लिए प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर लंम्बित हैं। उक्त प्रस्तावों में इस स्तर से कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः अनुरोध है, कि उक्त प्रस्तावों में आ रही तकनीकी कठिनाईयो का निराकरण करने हेतु N.I.C दिल्ली को अपने स्तर से पत्राचार करने की कृपा कीजिएगा।

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

सं०अ० / प्रभारी बागेश्वर
आ०का०को०।

प्र० व० सं० / नो०
25-6-24

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0सं0 5614
पत्रावली 12-1
दिनांक 24-6-24

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.p.w.d kapkot .docx"

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1763 / FP/UK/ROAD/10070/2015 देहरादूनः दिनांकः 24 जनवरी 2023

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड भासन।

विषय :– जनपद बागेश्वर में पोथिंग से शोभाकुण्ड तक मिसिंग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.150 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 977 / X-4-15/1(496)/2015 दिनांक 31–07–2015

महोदय,

शासन के उपर्युक्त विशयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2815 / 12–1–2 दिनांक 19.01.2023 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.3 है0 सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित / संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.3 सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रू0 4,91,338.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 10,00,000.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0– 566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार भुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0–566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 26,61,000.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोश में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में यदि सक्षम स्तर से एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

5	भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्थ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 26,61,000.00, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 4,91,338.00 तथा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 10,00,000.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 41,52,338.00 चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। धनराशि की पुष्टि हेतु चालन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में पूर्व में संलग्न है।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	शर्त संख्या–9 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–1769 / FP/UK/ROAD/10070/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट, बागेश्वर।

24/01/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

D/C